न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 04 / 2022

1 दौलतराम पुत्र गोरूराम उम्र 52 साल जाति बलाई निवासी ग्राम भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट्स

बनाम

1 गीता देवी आयु 72 साल पत्नी स्व. नानगराम जाति बलाई
2 छोटूराम आयु 37 साल पुत्र स्व. नानगराम जाति बलाई
निवासीगण ग्राम भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
3 दिनदयाल आयु 47 साल पुत्र श्री नानगराम
4 ताराचन्द आयु 45 साल पुत्र श्री नानगराम
5 मूलचन्द आयु 43 साल पुत्र श्री नानगराम
6 सुभाष आयु 41 साल पुत्र नानगराम
7 बाबूलाल आयु 32 साल पुत्र नानगराम
8 श्यामलाल आयु 42 साल पुत्र सांवलराम
9 खेमाराम आयु 40 साल पुत्र सांवलराम
10 मोहनलाल आयु 57 साल पुत्र सांवलराम
11 छोटी देवी आयु 62 साल पुत्री गोरूराम
12 भंवरी देवी आयु 57 साल पुत्री गोरूराम
13 शांति देवी आयु 49 साल पुत्री गोरूराम
समस्त जाति बलाई निवासी ग्राम भूमा छोटा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।
14 तहसीलदार तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेन्टस

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांकित 24.02.2021 न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ मु.नं. 64/2019 उनवानी
गीता देवी आदि बनाम दीनदयाल आदि दावा बाबत
इस्तकरारहक बंटवारा दुरूस्ती इन्द्राजात

उपस्थिति :

1. श्री बनवारी लाल बरवड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री झाबरमल रायल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री जयपाल सिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 23/12/25

यह अपील विचारण उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 64/2019 में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 1 व 2 ने एक वाद इस्तकरार हक, बंटवारा, दुरूस्ती इन्द्राजात बाबत भूमि खसरा नम्बर 104, 109 जिसके नये खसरा नम्बर 242, 279, 280, 281 वाके ग्राम भूमा छोटा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का व भू.अ. निरीक्षक द्वारा जो नजरी नक्शा ट्रेस में जो मुख्य रास्ता खसरा नम्बर 281/1, 281/2, 242/1, 279/1, 279/2 के खातेदारों की भूमि में आने जाने का है उस रास्ते से अपीलान्ट के खेत के पूरब में होता हुआ दक्षिण की ओर के खातेदार 242/2 के लिए प्रस्तावित कर नक्शा ट्रेस में कटान का रास्ता दर्शित कर दिया गया है जबकि खसरा नम्बर 242/2 के खातेदारों के लिए खसरा नम्बर 242/2 के खातेदारों के लिए दक्षिण ओर से रास्ते की भूमि पूर्व से मौजूद होने के बावजूद अपीलान्ट व खसरा नम्बर 241/1 के अन्य खातेदारों की भूमि कम हो गई है। जबकि पटवारी हल्का व भू.अ. नि. को अपीलान्ट की भूमि को कम करने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण प्रस्तुत निर्णय व डिक्री अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 241/1 में से रास्ता निकालने के कारण स्थिर रहने योग्य नहीं है। अपीलान्ट की भूमि में से गलत रूप से रास्ता कायम करके सार्वजनिक रास्ते की भूमि मे मिला दिया गया जबकि अपीलान्ट का कभी भी इस रास्ते से कोई आवागमन नहीं हो रहा है तथा ना ही अपीलान्ट उस रास्ते से आवागमन कर रहा है। अपीलान्ट का गांव भूमि खसरा नम्बर 242/2 के दक्षिण में है तथा अपीलान्ट भूमि खसरा नम्बर 242/2 के पूर्वी सींव के सहारे सहारे दक्षिण से उत्तर में अपने खेत में प्रवेश करता चला आ रहा है। रेस्पोडेन्ट वादी ने गलत रूप से अपीलान्ट की भूमि में से जो रास्ता कायम किया गया है एवं कतई गलत रूप से किया गया है। रेस्पोडे–वादीगण का महज उद्देश्य अपीलान्ट की भूमि में से रास्ता कायम करना है तथा अपनी भूमि को सुरक्षित रखा चाह रहा है जो किसी भी दृष्टि से उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत नहीं है। विभाजन प्रस्ताव पर तथा संबंधित नक्शा ट्रेस पर अपीलान्ट के कोई हस्ताक्षर नहीं करवाये गये इस कारण अपीलान्ट को विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतिम डिक्री व प्राथमिक डिक्री के बारे में कोई जानकारी नहीं हुई। दिनांक 26.11.2021 को अपीलान्ट अपने हक व हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 241/1 पर काश्त कार्य कर रहा था तो खसरा नम्बर 242/2 के खातेदार अपीलान्ट की भूमि में से जाने लगे इस पर अपीलान्ट द्वारा एतराज किया गया तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व अन्यों ने कहा कि न्यायालय के आदेश से आपके हक हिस्से की भूमि में से रास्ता कटान में अंकित किया गया है। इस पर अपीलान्ट ने पूछताछ कर विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय द्वारा पारित अंतिम निर्णय व डिक्री की नकल प्राप्त करने हेतु दिनांक 26.11.2021 को आवेदन प्रस्तुत कर निर्णय व डिक्री की नकल दिनांक 29.11.2021 प्राप्त करने पर अपीलान्ट एवं अन्य खातेदारों के हक हिस्से की भूमि खसरा नम्बर 241/1 में से रास्ता कटान में दर्शित करने की जानकारी हुई। इस पर अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट सं. 1 व अन्यों को उक्त कटान में कटाये गये रास्ते बाबत आपत्ति पर उनके द्वारा रास्ते को हटवाने के लिए हां करते रहे परंतु दिनांक 04.01.2022 को स्पष्ट रूप से इंकार करने के कारण दिनांक 05.01.2022 को वकील साहब से संपर्क कर अपील तैयार करवाई जाकर यथाशीघ्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। जानकारी में हुआ विलम्ब क्षमा किये जाने योग्य है। इस संबंध में अलग से भी एक आवेदन पत्र अ. धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया जा रहा है। अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सीपीसी, जिसमें नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि 910/242, खसरा नम्बर 282 के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा नम्बर 283 के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा नम्बर 908/242 के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश कर, दस्तावेज रिकार्ड पर लेने का निवेदन किया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 1 व 2 ने एक वाद इस्तकरार हक, बंटवारा, दुरूस्ती इन्द्राजात बाबत भूमि खसरा नम्बर 104, 109 जिसके नये खसरा नम्बर 242, 279, 280, 281 वाके ग्राम भूमा छोटा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया। विचारण न्यायालय के समक्ष कुल 12 प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में दिनांक 05.08.2019 को प्रतिवादी संख्या 9/अपीलान्ट की जरिये अधिवक्ता मोहन सिंह जाखड़ उपस्थिति हुई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका पर अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा पी.डी. जारी करने पर सहमति दी गई है। इस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री की पालना में दिनांक 18.01.2021 को विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये है। अपीलान्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अंतिम डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। शेष प्रतिवादीगण ने भी अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील मियाद व गुणावगुण पर खारिज की जावें। अपील के स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की इजाजत दिया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का आवेदन इसी स्तर खारिज किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

प्रस्तुत अपील में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के तहत नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि 910/242, खसरा नम्बर 282 के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा नम्बर 283 के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि, खसरा नम्बर 908/242 के नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि पेश किये जो एक लोक दस्तावेज है। अतः न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाता है।

विचारण न्यायालय में वादीगण रेस्पोडेन्ट 1 व 2 ने एक वाद इस्तकरार हक, बंटवारा, दुरूस्ती इन्द्राजात बाबत भूमि खसरा नम्बर 104, 109 जिसके नये खसरा नम्बर 242, 279, 280, 281 वाके ग्राम भूमा छोटा का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री कर दिया।

विचारण न्यायालय के समक्ष कुल 12 प्रतिवादीगण के विरूद्ध विभाजन का वाद प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय में दिनांक 05.08.2019 को प्रतिवादी संख्या 9/अपीलान्ट की जरिये अधिवक्ता मोहन सिंह जाखड़ उपस्थिति हुई है। विचारण न्यायालय की आदेशिका पर अपीलान्ट के अधिवक्ता द्वारा पी.डी. जारी करने पर सहमति दी गई है।

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

इस पर विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 26.09.2019 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई है।

विचारण न्यायालय के समक्ष प्राथमिक डिक्री की पालना में दिनांक 18.01.2021 को विभाजन प्रस्ताव भिजवाये गये है। अपीलान्ट द्वारा प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है। विचारण न्यायालय में प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव पर अपीलान्ट द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। विभाजन प्रस्ताव के आधार पर पारित अंतिम डिक्री में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। शेष प्रतिवादीगण ने भी अंतिम डिक्री को चुनौती नहीं दी है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है।

प्रस्तुत प्रकरण में यह अवश्य विचारणीय है कि विभाजन प्रस्ताव में खसरा नम्बर 909/242, 908/242 में आवागमन के लिए कटानी रास्ते खसरा नम्बर 283 से जो रास्ता दर्शाया गया है, उसके मध्य अन्य भूमि खसरा नम्बर 282 अवस्थित है। इस खसरा नम्बर 282 में रास्ता अंकित नहीं किये जाने से विभाजन में प्रदत्त रास्ता कटानी रास्ते खसरा नम्बर 283 में नहीं मिलता है। इस बिन्दु पर पुनः निर्णय हेतु प्रकरण प्रति प्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को खसरा नम्बर 909/242, 908/242 में आवागमन के लिए खसरा नम्बर 282 में से कटानी रास्ते खसरा नम्बर 283 तक निर्बाध आवागमन के निर्धारण हेतु प्रति प्रेषित किया जाता है। इस संदर्भ में विचारण न्यायालय समस्त पक्षकारों को सुनकर गुणावगुण पर निर्णय पारित करें। खसरा नम्बर 282 में से आवागमन के बिन्दु को छोड़कर शेष अंतिम डिक्री का निर्णय यथावत रखा जाता है। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.01.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी,
सीकर